Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : Political Science
Research Link - 159, Vol - XVI (4), June - 2017, Page No. 69-70
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

# स्वातंत्र्योत्तर भारत में राजनीतिक परिवर्तन के विविध आयाम

*प्रस्तुत शोधपत्र में स्वातंत्र्योत्तर भारत में राजनीतिक परिवर्तन के विविध आयामों पर चर्चा की गई है। प्रजातंत्र में किसी देश के सर्वांगीण विकास हेतु राजनीतिक स्थिरता पहली शर्त है। हमारे देश में केन्द्र में लगातार 10 बार गठबंधनों की सरकार बनने का स्पष्ट परिणाम यह हुआ कि भारतीय संसद एवं सरकारें निर्बल हुई। प्रकारांतर से देश कमजोर हुआ। लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता, साम्राज्यवाद, विरोधी आर्थिक राष्ट्रवाद के मुद्दों से जो भारत का गहरा सम्बंध था, वह भी शिथिल हुआ।*

**डॉ.(श्रीमती) सुनीता यादव**

**प्र**स्तावना :

प्रस्तुत अध्ययन 'स्वातंत्र्योत्तर भारत में राजनीतिक परिवर्तन के विविध आयाम' भारत के आंतरिक राजनीतिक विकास के संदर्भ में देश की अंतर्विरोधी सामाजिक, राजनीतिक प्रक्रियाओं की पृष्ठभूमि की पड़ताल का प्रयास मात्र है। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पिछली शताब्दी के दौरान अनेक चरणों से गुजर कर आधुनिक स्वरूप में विकसित हुआ। यह विकास कई कानूनी संवैधानिक और क्रांतिकारी रूपों में हुआ।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का उदय संगठित रूप में 1885 में कांग्रेस की स्थापना से हुई। शुरू में कांग्रेस सीमित संभ्रान्त व्यक्तियों की एक वैचारिक संस्था थी। यह अंग्रेजों के औपनिवेशिक नीतियों का विरोध करती थी। भारत ने जब 20 वीं शताब्दी में प्रवेश किया, तो उसके पास संगठित साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलन का कोई अनुभव नहीं था। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अनेक प्रकार के विचार एवं विचार धारायें सक्रिय थीं। ये सभी आजादी पाने के महान उद्देश्य से एकजुट थीं।

गाँधी, नेहरू दोनों राष्ट्रीय आंदोलन से जन्मे जननायक और महानायक थे। उनका दर्शन, विश्वशांति, विश्वबन्धुत्व, समानता, सौहार्द्र, सद्भावना जैसे अनेक सकारात्मक विचारों को अनिवार्य रूप से लागू करने कटिबद्ध था।

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने अपने विशाल क्षेत्रफल, अपनी विविध समस्याएँ, आंतरिक विविधता और तनावों के बाद भी संवैधानिक भाासन, सार्वभौमिक मताधिकार, प्रतिनिधिक जनवाद तथा नागरिक स्वतंत्रताओं की राजनीति को अपनाया। यह उसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के विरासत के रूप में प्राप्त हुआ था। गाँधी और नेहरू जैसे नेताओं का उसे नेतृत्व प्राप्त हुआ। नेहरू तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्माता थे। वह गुट निरपेक्षता, तनाव शैथिल्य नीति के निर्माताओं में से एक थे। ''वैज्ञानिक समाजवाद से नेहरू के परिचय ने उनके विश्व दृष्टिकोण और राजनीतिक क्रिया कलाप पर प्रभाव डाला। नेहरू ने बड़े साहस के साथ अपने को वैज्ञानिक समाजवाद का पक्षधर घोषित किया।''(1)

भारत में आजादी के साथ एक ऐसी दक्षिण पंथी राजनीति, का भी उदय हुआ, जिसने धार्मिक या नस्लवादी दावों के लिए हिंसा और उन्माद की राजनीति का अनुसरण किया। पाकिस्तान के जन्म के साथ भारत सहित पूरी दुनिया में विविध किस्म के तत्ववादी राजनीति का भी उदय हुआ।

''हर दौर में बदलाव के अपने प्रतीक और मानक होते हैं। फिर बदलाव अपने साथ कई तरह के सपने लेकर आता है।''(2)

भारतीय लोकतंत्र को आजादी के साथ, निरक्षरता, गरीबी, सामाजिक असमानता, और साम्प्रदायिकता भी विरासत में प्राप्त हुई। इनसे मुक्ति के लिए समाज के हर क्षेत्र में लोकतांत्रिक दबाव बनाना पड़ा। एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति की जरूरत थी, जिसमें साम्यवादी एवं समाजवादी धाराओं के लिए प्रमुख स्थान। धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा। भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तथा बहुभाषी राज्य व्यवस्था का निर्माण और ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति के अधिकार पर आधारित योजनाओं को कार्यरूप में परिणत करने की चुनौती पर ध्यान केंद्रित करना लक्ष्य था। 1960 के दशक तक विश्व की लगभग एक तिहाई मानवता ने पूँजीवादी व्यवस्था से मुक्ति पा ली थी। इस शताब्दी का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू था, तीसरी दुनिया में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों का दौर जिसने पूर्व के महान औपनिवेशिक साम्राज्यों का अन्त कर दिया।

भारत में एक बड़ा बदलाव 1970 के दशक में आया। देसी राज्यों का विलीनीकरण, प्रीविपर्स की समाप्ति तथा बैंकों का

*प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष ( राजनीति विज्ञान विभाग ), डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर ( छत्तीसगढ़ )*

राष्ट्रीयकरण इस दशक की कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ साबित हुई।

जहाँ तक स्वातंत्रयोत्तर भारत में राजनीतिक परिवर्तन के विविध आयाम का सवाल है, प्रश्न उठता है कि क्या भारतीय राजनीति में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, जिसने एक राजनीतिक शून्य पैदा की, जिससे पूरा देश सहम गया, सोचने समझने की दृष्टि भंग हो गई। हाँ 25 जून 1975 को इमरजेन्सी की घोषणा ने भारत में राज्य तथा नागरिक समाज में ऐसे विकृतियों को जन्म दिया, जिससे उदारवादी लोकतंत्र की संस्थाएँ अभी तक उबर नहीं पायी हैं। इंदिरा गाँधी विरोधी आन्दोलन को आगे जयप्रकाश नारायण के सम्पूर्ण क्रांति के रूप में देखते हैं।

विश्लेषण करने पर जो परिणाम आये, उसे हम जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के रूप में पाते हैं। जिसमें सभी तरह के क्रिया–प्रतिक्रिया के विचार वादियों का एक जुट होना देखते हैं। ये नये सिरे से राजनीति के विचार और क्रिया के विखण्डन की एक शैली के रूप में दिखाई देता है। सम्पूर्ण क्रांति से विखण्डन की एक राजनीतिक समझ पैदा हुई। भारतीय चुनाव की स्थिति में समता के युग की समाप्ति हो गई। बहुत कुछ ऊपरी या सतही स्तर पर वकृत्व लैथारिक का विषय हो गई।

1980 के दशक के अन्त तक भारत में और विश्व में बहुत कुछ बदल चुकी थी। वैश्वीकरण शब्द का पहले पहल प्रयोग समाज विज्ञान के क्षेत्र में 1960 के दशक में एवं अर्थशास्त्र में 1980 के आस–पास हुआ। यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का वह समय था, जब सोवियत संघ बिखर रहा था। साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए समय अनुकूल हो चुका था। भारत में 1988 तक केन्द्र में एक दल की बहुमत वाली सरकार रही। ''लोकतंत्र में चुनाव एक अर्थ में सामूहिक सपनों को साकार करने का साधन भी होता है।'' पहली बार 1989 में वी.पी. सिंह की साझा सरकार बनी, जो लगभग 11 माह बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वापस लेने पर धराशायी हो गयी। 1984–90 राजीव गाँधी के प्रधानमंत्रित्व काल में कम्प्यूटरीकरण का आरंभ हुआ। वी.पी. सिंह (1989–90) में मण्डल कमण्डल की राजनीति शुरू हुई। नरसिम्हा राव के कार्यकाल 1991–96 में बाबरी मस्जिद ध्वंस ने भारतीय राजनीति की दिशा–दशा को नकारात्मक मोड़ दिया। यहाँ से भारतीय राजनीति में संवैधानिक संकट का दौर शुरू हुआ, जो सिद्धांतहीन राजनीति के गठबंधन का समय सिद्ध हुआ।

भारतीय राजनीति का यही वो दौर है कि जब इतिहास के सबाल्टन युग का प्रारंभ होता है, जिसके तहत विभिन्न विमर्शों की राजनीति आरंभ हो जाती है।

राष्ट्रीय समाज आंचलिक समाजों में विभक्त होता दिखाई देता है। राष्ट्र की जगह लोकल महत्वपूर्ण लगता है। ऐसे वातावरण में मनमोहन, अर्थशास्त्र अर्थात् वाशिंगटन आम राय की दृष्टिकोण से संचालित नवउदारवादी भूमण्डलीकरणकृत निजीकरण के साथ जितनी भी प्रजातांत्रिक लोक कल्याणकारी संस्थाएँ थी, उन्हें उद्योगोन्मुख, व्यापारोन्मुख और रोजगारोन्मुख दृष्टिकोण में बदल देना था।

अब तक भारतीय राजनीति का राज्य–राष्ट्र के प्रति जो दृष्टिकोण रहा है, वह उन्मुक्त बाजार के अनुकूल हो गया। यह एक बड़ा परिवर्तन है। इसकी बुनियादी विशेषता यह है कि भूमण्डलीकृत बाजार की शक्तियाँ नयी उक्ति के सहारे मुनाफे के विचार की और व्यक्तिवादी विचार की जद में आ गई है।

''2014 में मोदी सरकार का आना विश्व पूँजीवाद का नव उदारवाद या निरंकुश बाजार की आर्थिक नीतियों को लाने का चौथा प्रयोग हैं।''[3]

जब आज के परिदृश्य में देखते हैं, इसका अर्थ मनमोहन अर्थशास्त्र की राजनीति के अगले चरण के रूप में मोदी अर्थशास्त्र के विकास की पृष्ठभूमि को देखते है। डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया और स्टार्ट अप इंडिया पर विचार करते हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत इंटरनेट के प्रयोग के माध्यम से अपने अर्थशास्त्र को नई गति में ले आना चाहती है।

नई वैश्विक अर्थव्यवस्था पैदा हुई है, वह स्वयं में अत्यंत जटिल और अशांतिपूर्ण घटकों से युक्त है, इसीलिए एंथोनी गिडन (डायरेक्टर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स) ने कहा ''नवपूँजीवाद जो वैश्वीकरण की एक संचालक ताकत है, कुछ हद तक रहस्यमयी है। हम पूरे तरीके से यह नहीं जानते कि यह कैसे कार्य करता है।''[4]

कह सकते हैं कि – नेहरू युग का अर्थशास्त्र उत्पादन सम्बंधों का अर्थशास्त्र था। मनमोहन सिंह का उपभोक्ता संबंधों का। मोदी का अर्थशास्त्र ज्ञानोत्पादन या क्रियेटिव अर्थशास्त्र है, जो पूरी तरह से डिजिटल गणित और सांख्यकीय पर निर्भर है। ''मोदी के जीत के कई मायने हैं, क्योंकि इससे देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल गई, कई मिथक टूट गए।''[5]

परिणाम स्वरूप अविवेकवादी, बाजारप्रिय, आक्रामक रूप से बहुसंख्यक वादी अतिफुट डालने वाला परिदृश्य अचानक हावी हो गया। जो पार्टियाँ इनकी विरोधी थीं, उनके पास अब ऐसी कोई विचारधारा नहीं, जिसे वे इनके विरूद्ध पेश कर सकती हैं, क्योंकि साम्राज्यवाद विरोधी एकता के विकल्प को उन्होंने पहले ही त्याग दिया था। उनके पास सत्ता के व्यावहारिकतावाद के अलावा कोई अन्य विचारधारा शेष नहीं बची।

***संदर्भ :***


*(1) मर्तीशिन, ओ.व. (1990) : जवाहर लाल नेहरू और उनके राजनीतिक विचार, प्रगति प्रकाशन, मास्को, पृ. 9.*

***(2)** सिंह, धर्मेन्द्र कुमार : ब्रांड मोदी का तिलिस्म – बदलाव की बानगी, अंतिम कव्हर पृष्ठ।*

***(3)** अली, मुशर्रफ : न्यूनतम सरकार (उद्भावना) – आर्थिक संघर्ष के 70 साल, पृ. 133.*

***(4)** बाजपेयी, शोभित बाजपेयी (2015) : हाईपरटेक्स संस्कृति में लोक, मड़ई, पृ. 308.*

***(5)** सिंह, धर्मेन्द्र कुमार : ब्रांड मोदी का तिलिस्म – बदलाव की बानगी, पृ.154.*


❁ ❁

Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : Political Science
Research Link - 159, Vol - XVI (4), June - 2017, Page No. 71-72
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

# चुनावों में राजनीतिक वित्तपोषण एवं भ्रष्टाचार

***प्रस्तुत शोधपत्र में राजनीतिक वित्तपोषण से चुनाव में किस प्रकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, इसका अध्ययन किया गया है। चुनावों में होने वाला भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में होने वाले भ्रष्टाचार को जन्म देता है। इस पर नियंत्रण हेतु राजनीतिक वित्तपोषण को पारदर्शी बनाया जाना आवश्यक है। चुनाव में प्रवासी मतदाताओं एवं व्यस्त मतदाताओं को आने-जाने, रहने आदि के खर्च एवं अन्य आर्थिक प्रलोभन देकर अपने पक्ष में मतदान हेतु बहुत अधिक राशि खर्च की जाती है। अनिवार्य मतदान को लागू करना भी चुनावी खर्च एवं वित्तपोषण को कम करने में प्रत्यक्ष भूमिका निभा सकता है।***

**डॉ.अजय कुमार चन्द्राकर*, डॉ.नागरत्ना गनवीर** एवं रजनी पटेल*****

राजनीतिक वित्तपोषण का अर्थ है, किसी राजनीतिक दल को राजनीतिक गतिविधियों हेतु धन या अन्य आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। वर्तमान परिदृष्य में गुमनाम स्त्रोतों से एवं अपारदर्शी राजनीतिक वित्तपोषण (पॉलिटिकल फंडिंग) को राजनीतिक भ्रष्टाचार का मूल कारण समझा जाता है। सामान्यतः राजनीतिक दलों को दान अथवा चन्दा उपलब्ध कराने को ही राजनीतिक वित्तपोषण समझा जाता है, जबकि वास्तव में इसके अन्य कई रूप होते हैं। लोकसभा, विधानसभा एवं स्थानीय चुनाव में किसी प्रत्याशी के चुनाव पर किया जाने वाला खर्च या अन्य प्रकार की सहायता जैसे गाडियाँ, ईंधन, प्रचार सामग्री, विज्ञापन आदि भी राजनीतिक वित्तपोषण के रूप हैं।

भारतीय लोकतन्त्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव होता है। इस प्रतिस्पर्धा में विजयी होने के लिए प्रचार–प्रसार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सम्यक प्रचार के अभाव में लोककल्याण के लिए समर्पित प्रत्याशी को भी हार का सामना करना पड़ता है, जैसे मणिपुर विधानसभा चुनाव 2017 में मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला को हार का सामना करना पड़ा। यह प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव प्रक्रिया राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को विभिन्न स्त्रोतों से धन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। राजनीतिक वित्तपोषण का उद्देश्य केवल प्रत्यक्ष लाभ जैसे चुनाव के पश्चात् भूमि अधिग्रहण या कोयला खण्ड आबन्टन में लाभ प्राप्त करना ही नहीं होता है, जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है, बल्कि इसका उद्देश्य अन्य विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष लाभ अर्जित करना भी होता है। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं :

(1) सैद्धान्तिक या आदर्शवादी विचारधारा का समर्थन।

(2) विरुद्धात्मक सरकारी कार्यवाही को स्थगित करने या लम्बित करने हेतु।

(3) कुछ कार्यवाहियों में अतिरिक्त समय प्राप्त करने हेतु।

(4) किसी शासकीय निगरानी के अन्तर्गत आने वाले अवैध कार्य को नजरअंदाज करने के लिए एवं अन्य अप्रत्यक्ष लाभ के लिए भी किया जाता है।

(5) कुछ अनैतिक या अवैधानिक कार्यों हेतु राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करने के लिए।

(6) किसी व्यापारिक, वैचारिक, राजनीतिक, साम्प्रदायिक प्रतिद्वन्दी को अथवा प्रतिद्वन्दी द्वारा समर्थित राजनीतिक पक्ष की हार के लिए भी राजनीतिक वित्त पोषण किया जाता है।

निर्वाचन के पश्चात् राजनीतिक दल अपने उन वित्त पोषण करने वाले सहयोगियों को, उनकी आशा के अनुरूप प्रतिफल प्रदान करने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में सामान्यतः सार्वजनिक कार्यालयों का उपयोग जनहित में न करके अनैतिक रूप से एवं अक़्सर अवैधानिक रूप से किसी विशेष पक्ष या वर्ग को लाभ पहुँचाने में किया जाता है। इसे राजनीतिक भ्रष्टाचार कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जनप्रतिनिधि एवं नौकरशाही भी व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक वित्तपोषण को भ्रष्टाचार पनपने का मुख्य कारण कहा जा सकता है।

राजनीतिक वित्तपोषण के सबसे महत्वपूर्ण दो प्रकार हैं :

(1) राजनीतिक दलों को वित्तीय पोषण अथवा दान या चन्दा। (2) चुनाव में प्रचार–प्रसार पर किया जाने वाला प्रत्यक्ष एवं परोक्ष खर्च।

राजनीतिक दलों के वित्तीय पोषण के अन्तर्गत विशाल मात्रा में धन राजनीतिक धारा में आता है। एसोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटिक रिफार्म्स को सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार सत्र 2004–05 से 2014–15 तक, भारत में सभी राजनीतिक दलों की कुल आय 11,367.34 करोड़ रुपये थी। इस कुल आय का 16 प्रतिशत नामजद दानदाताओं द्वारा प्राप्त हुआ। इसके अलावा लगभग 15 प्रतिशत आय कूपन बेचकर, सदस्यता शुल्क द्वारा एवं जमा प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ था। इस प्रकार उपरोक्त दोनों मिलाकर कुल 31 प्रतिशत आय घोषित स्त्रोतों से एवं शेष 69

**सह-शोध-निर्देशक एवं विभागाध्यक्ष ( राजनीति विज्ञान विभाग ), दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर ( छत्तीसगढ़ )*
***शोध-निर्देशक एवं सहायक प्राध्यापक, शासकीय शिवनाथ महाविद्यालय, राजनांदगाँव ( छत्तीसगढ़ )*
****शोधछात्रा, दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर ( छत्तीसगढ़ )*

प्रतिशत आय उन्हें अघोषित स्त्रोतों से प्राप्त हुई थी। इस प्रकार भारत के सभी राजनीतिक दलों की 2004–05 से 2014–15 के मध्य वार्षिक औसत आय लगभग 1000 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2015–16 से वर्तमान तक पिछले दो वर्षों में ही बढ़कर वार्षिक औसत आय लगभग 2000 करोड़ रूपये हो गई है।

राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले वित्तीय पोषण को कम करने के लिए पिछले कुछ माह में दो महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं:

(1) विमुद्रीकरण, जिसके द्वारा कालेधन को बाधित किया गया, जिससे राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाली नगद आर्थिक सहायता बाधित हुई एवं उसमें भारी कमी आयी।

(2) इसी क्रम में वर्ष 2017–18 हेतु प्रस्तुत केन्द्रीय बजट में प्रावधान किया गया है कि राजनीतिक दलों को रूपये 2000 से अधिक नगद प्राप्त दान राशि के स्त्रोतों का विस्तृत विवरण अपने आयकर रिटर्न में प्रतिवर्ष देना होगा। पूर्व में यह सीमा रुपये 20,000 तक थी, जिसका लाभ उठाकर राजनीतिक दल अधिक संख्या में दानदाताओं द्वारा रुपये 20,000 से कम राशि प्राप्त होना दर्शाते थे एवं दानदाताओं के नाम घोषित नहीं करते थे। इसके अलावा राजनीतिक दान हेतु बान्ड पत्र जारी करने की घोषणा से भी राजनीतिक दलों की आय के स्त्रोतों में पारदर्शिता आएगी।

राजनीतिक दलों के अपारदर्शी वित्त पोषण को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लाना भी हो सकता है। इस सन्दर्भ में सूचना के अधिकार अधिनियम के सेक्शन 2(एच) के अन्तर्गत ''सार्वजनिक संस्था'' की परिभाषा में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के शामिल होने के तर्क को सभी छः राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने खारिज कर दिया है। केन्द्रीय सूचना आयोग ने वर्ष 2013 में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को सार्वजनिक संस्था मानकर निर्देशित किया था कि वे अपने कार्यालयों में जनसूचना अधिकारी नियुक्त कर सम्बन्धित दस्तावेज जनता को उपलब्ध कराएँ। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने इसकी उपेक्षा कर दी। अतः इस परिप्रेक्ष्य में सूचना के अधिकार अधिनियम में संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राजनीतिक दलों को लाना आवश्यक है।

विधि आयोग द्वारा श्री ए.पी.शाह की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने प्रस्तावित किया है कि किसी कम्पनी द्वारा राजनीतिक पार्टी को वित्तपोषण या आर्थिक दान दिए जाने का निर्णय कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरर्स के द्वारा न लिया जाकर, कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक में लिया जाना चाहिए। इसी रिपोर्ट में यह भी प्रस्तावित है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को वार्षिक लेखा संधारित करना अनिवार्य हो जो कि किसी योग्य चार्टर्ड एकाउन्टेड द्वारा परीक्षण किया गया हो। इन लेखाओं में आय प्राप्ति के स्त्रोतों एवं खर्च के मदों का पूर्ण रूप से उल्लेख होना चाहिए। इसके साथ ही भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा इन लेखाओं को ऑन लाईन किए जाने एवं जनता के निरीक्षण हेतु शुल्क सहित उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी सम्मिलित है।

राजनीतिक वित्तपोषण का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रूप चुनाव में प्रचार–प्रसार के रूप में किये जाने वाले खर्च में सहयोग है। यद्यपि राजनीतिक दलों द्वारा अपने प्रत्याशियों को चुनाव खर्च हेतु धन उपलब्ध कराया जाता है, किन्तु यह वास्तविक खर्च की तुलना में अत्यधिक कम होता है। वास्तव में प्रत्याशी अपने चुनावी खर्च को बहुत कम करके दिखाते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा निगरानी रखने के पश्चात् भी राजनीतिक उद्दमी इसका तोड़ निकाल लेते हैं। कम खर्च दिखाकर विपुल मात्रा में धन राशि अघोषित रूप से खर्च करते हैं। इसका सबसे विषम पक्ष यह है कि इस प्रकार खर्च किया जाने वाला धन अघोषित अथवा काला धन होता है।

प्रत्याशियों द्वारा किए गए चुनावी खर्च की गणना वर्तमान में नामांकन दर्ज करने से लेकर परिणामों के घोषणा के बीच के समय अन्तराल में की जाती है। विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत ए.पी.शाह कमेटी की रिपोर्ट में सिफारिश है कि इस समयान्तराल को बढ़ाकर, चुनाव की अधिसूचना के दिन से परिणामों के घोषणा के दिन तक किया जाना चाहिए। इससे चुनाव की अधिसूचना से नामांकन दर्ज की तिथि के मध्य किया जाने वाला खर्च भी, चुनाव खर्च की गणना में भाामिल हो सकेगा जिससे चुनावी फंडिंग को कम किया जा सके। इसी रिपोर्ट में सिफारिश है कि चुनावी खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करने की अधिकतम सीमा विधानसभा चुनाव हेतु 75 दिन एवं लोकसभा चुनाव हेतु 90 दिन किया जाना चाहिए और ऐसा न करने वाले प्रत्याशियों पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया जाना चाहिए। इसी सन्दर्भ में पेड न्यूज की परिभाषा को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के सेक्शन – 2 में शामिल कर आचार संहिता की अवधि में ''खबरों के लिए भुगतान करने एवं खबरों के लिए भुगतान प्राप्त करने'' दोनों को चुनावी उल्लंघन मानकर कार्यवाही करने की सिफारिश की गई है।

चुनाव में प्रवासी मतदाताओं एवं व्यस्त मतदाताओं को आने–जाने, रहने इत्यादि के खर्च एवं अन्य आर्थिक प्रलोभन देकर अपने पक्ष में मतदान हेतु बहुत अधिक राशि खर्च की जाती है। अनिवार्य मतदान को लागू करना भी चुनावी खर्च एवं वित्तपोषण को कम करने में परोक्ष रूप से भूमिका निभा सकता है। मतदान अनिवार्य होने पर प्रत्याशी अथवा दल मतदाताओं को मतदान करने हेतु प्रलोभन पर खर्च नहीं कर पायेंगे, जिससे अघोषित चुनावी वित्तपोषण कम होगी। इसी प्रकार आधार संख्या के इस्तेमाल द्वारा एक से अधिक जगहों पर मतदाता परिचय पत्र बनाकर होने वाले फर्जी मतदान को रोका जा सकता है एवं अवयस्क से वयस्क होने वाले मतदाताओं का नाम सुविधापूर्वक मतदाता सूची में शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार के मतदान को रोककर इस पर खर्च होने वाले चुनावी वित्तपोषण को समाप्त किया जा सकता है।

भारत में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने से भी चुनावी फंडिंग को कम किया जा सकता है। इसके पीछे तर्क है कि राजनीतिक दलों द्वारा एक ही भौगोलिक क्षेत्र में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव हेतु दो बार प्रचार–प्रसार पर खर्च किया जाता है। इन दोनों चुनावों को एक साथ कराने पर यह खर्च कम होगा एवं चुनावी फंडिंग भी कम होगी। यद्यपि इसमें कुछ संवैधानिक बाधाओं का समाधान पहले करना होगा।

***संदर्भ :***

***(1)*** *lawcommissionofindia.nic.in/reports/reports216 onwards.htm* ***(2)*** *http://Thehindu.com/todays-paper/tp-opinion/cam-paigning-on-a-budget/article17397572.ece* ***(3)*** *योजना, 2009.* ***(4)*** *योजना, 2012.*

❁❁